कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल–462004

क्रमांक–2323/580/आउशि/बजट/07 भोपाल, दिनांक–22.11.07

प्रति,

संबधित प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय

विषय– रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्त किए गए अतिथि विद्वानों को मानदेय भुगतान हेतु बजट आवंटन वर्ष 2007–08.

संदर्भ– आपका पत्र क्रमांक

संदर्भित विषयान्तर्गत निर्धारित प्रपत्र मे आपके द्वारा चाही गई राशि के संबंध में परीक्षण उपरांत राशि रू0

का बजट आवंटन निम्नलिखित निर्देशों के साथ नियमानुसार व्यय हेतु आवंटित किया जाता है :–

1. उक्त राशि का आहरण **मांग संख्या – 44–2202–03–104–7043–9999–42–007** (जनभागीदारी समितियों को महाविद्यालयों में रिक्त पदों को मानदेय के आधार पर भरने हेतु अनुदान) मद 2007–08 के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

2- आवंटित राशि में से वास्तविक व्यय को देखते हुए या अन्य कारणों से यदि बचत की संभावना हो तो पूर्व आंकलन कर अधिक आवंटन की राशि अपने कोषालय के माध्यम से इस कार्यालय के बी0सी0ओ0 कोड 3802 में समर्पित करें और कोषालय के कम्प्यूटर आई.डी. नंबर / दिनांक से कार्यालय को स्थितिनुसार तत्काल अवगत करावें ।

3. यह सुनिश्चित कर ले कि उक्त भुगतान स्वीकृत रिक्त पदों पर की गई नियुक्तियों के विरूद्ध प्रथम बार है तथा स्ववित्तीय योजना/जनभागीदारी अंतर्गत संचालित पाठयक्रमों के अंतर्गत की गई नियुक्तियों का भुगतान इसमें शामिल नहीं है ।

4. इस कार्यालय के परिपत्र क0 857/500/आउशि/शा.05/07 दिनांक 2.7.2007 में दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें ।

5. आप वास्तव में कार्यदिवसों की संधारित पंजी अनुसार यह भुगतान नियमित तौर पर सुनिश्चित करेंगे ।

निरन्तर...2....

6. यह बजट आवंटन आयुक्त कोष एवं लेखा के सेन्ट्रल सर्वर पर फीड किया गया है ।

7. मानदेय व्यवस्था, समर्पण भुगतान आदि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए दायित्व सम्बन्धित प्राचार्य का होगा ।

हस्ताक्षर
अतिरिक्त संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ0क्र0– 2324 / 580 / आउशि / बजट / 07 भोपाल, दिनांक– 22.11.2007

प्रतिलिपि–संबंधित कोषालय / उपकोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

हस्ताक्षर
अतिरिक्त संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश